



Government Registered
An ISO 9001-2008 Certified Institution

PARA MEDICAL FACULTY OF INDIA® भारतीय चिकित्सा सहायक परिषद

Delhi Office : 3385 Mahindra Park (Ranibagh), Delhi-110034

National ADMN. Office : E-113 Sect- I, L.D.A. Colony, Kanpur Road, Lucknow (U.P.)--226012

Website : www.pmfidelihi.com E-mail : paramedicalfacultyindia@gmail.com Phone. : 0522-2424213, 09415017779

पैरा मेडिकल क्षेत्र में हैं रोजगार के अवसर, भविष्य उज्जवल बनायें

महोदय,

आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि वर्तमान में चिकित्सा के क्षेत्र में नये-नये अनुसन्धान-परीक्षणों के चलते पैरा मेडिकल प्रशिक्षित स्टाफ की आवश्यकता दिनों-दिन बढ़ती जा रही है।

पैरा मेडिकल फैकल्टी ऑफ इण्डिया, दिल्ली के रोजगार परक लगभग 35 कोर्सेज संचालित हो रहे हैं। फैकल्टी ने पैरा मेडिकल स्नातकों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की व्यवस्था की है। प्रशिक्षित पैरा मेडिकल टैक्नीशियन देश के सरकारी व अर्ध सरकारी, प्राइवेट हॉस्पिटलों में सेवारत हैं और यह सभी कोर्स सरकारी सेवा पदोन्नति में सहायक है। फैकल्टी से रजिस्टर्ड स्नातक भारत व विदेशों में चिकित्साभ्यास (प्रैक्टिस)/नौकरी कर रहे हैं।

पैरा मेडिकल ट्रेण्ड स्नातक जैसे मेडिकल लैब टेक्नीशियन, एक्सरे-टेक्नीशियन, नर्सिंग कोर्सेज एवं विभिन्न पैरा मेडिकल कोर्सेज आदि सरकारी व निजी अस्पतालों, क्लीनिकों, नर्सिंग होमों, हेल्थ केयर सेन्टर्स आदि में रोजगार के अवसर पाते हैं। फैकल्टी अनुभवी एवं अप्रशिक्षित चिकित्सकों को सही ज्ञानवर्धन हेतु प्रशिक्षण देती है यह प्रशिक्षित चिकित्सक जनता को प्राथमिक चिकित्सा सेवायें उपलब्ध करा रहे हैं। फैकल्टी पैरा मेडिकल कोर्सों का संचालन इन्स्टीट्यूट/संस्थाओं के माध्यम से कर रही है।

पैरा मेडिकल फैकल्टी ऑफ इण्डिया, दिल्ली ने भारत सरकार से RTI Act के अन्तर्गत पूछे गये प्रश्नों पर स्पष्ट किया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार, मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया, डेंटल काउंसिल, नर्सिंग काउंसिल, केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) व राज्य सरकारों ने कई पत्रों के माध्यम से बताया कि पैरा मेडिकल कोर्सों को संचालित करने का कोई भी शासनादेश व एक्ट सरकार ने नहीं बनाया है और यह कोर्स हमारी परिधि में नहीं आते हैं। पैरा मेडिकल फैकल्टी ऑफ इण्डिया, दिल्ली से उत्तीर्ण स्नातक सरकारी/अर्द्धसरकारी/प्राइवेट अस्पतालों में वैकेंसी निकलने पर आवश्यकतानुसार नौकरी में लिये जाते हैं। पैरा मेडिकल कोर्स नेशनल लेबल पर नौकरी में मान्य है।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी विश्वविद्यालय, इन्स्टीट्यूट अथवा संस्था से पैरा मेडिकल कोर्स जैसे **DMLT, DX-RT, DMRT, ANM, GNM, DPT, DDHT, DDA, ECG, DOT, DOA, CMS&ED, DAM, DUM, DHM, DP, PGDP, DHMS, DAT, DUST, DOPT, DAP, DHP** आदि में प्रवेश लेने से पहले इन्स्टीट्यूट से यह जानकारी आवश्यक प्राप्त कर लें कि कोर्स उत्तीर्ण करने के बाद रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगा। चूँकि बिना रजिस्ट्रेशन कोर्स की वैधता नहीं है।

➤ सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के उत्तर में यू.पी.स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने अपने पत्रांक 6156/2016 दिनांक 06.06.2016 को बताया है कि पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी पंजाब, विनायका मिशन यूनिवर्सिटी (एपी), इन्दिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली आदि अनेक संस्थाओं द्वारा संचालित **DMLT, DX-RT, DMRT, ANM, GNM, DPT, DDHT, ECG, DOT, DOA** आदि कोर्सें उत्तीर्ण स्नातकों का पंजीकरण यू.पी.स्टेट मेडिकल फैकल्टी में नहीं किया जाता है।

➤ यू.पी. स्टेट मेडिकल फैकल्टी के पत्रांक 1257/2015 दिनांक 12.12.2015 को अपने पत्र में लिखा है कि पैरामेडिकल से संबंधित राष्ट्रीय/प्रदेश स्तर पर कौंसिल का गठन नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में यू.पी.स्टेट मेडिकल फैकल्टी सन् 1926 से इंडियन मेडिकल डिग्रीज एक्ट-1916 के अन्तर्गत कार्यवाही कर रही है।

➤ यू.पी. स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने अपने पत्रांक 11112/17 दिनांक 28.12.2017 में लिखा है कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी स्वशासी व स्वावित्तपोषी संस्था है।

रुपया 2,51,000/-में (GNM & ANM) की सम्बद्धता (Affiliation) लेकर एक वर्ष में कई लाख कमायें

सम्बद्धता (Affiliation) इन्स्टीट्यूट/संस्था को 3 वर्ष के लिए अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जायेगी। 3 वर्ष बाद नवीनीकरण के समय स्थाई सम्बद्धता प्रदान की जायेगी। जिसका शुल्क इन्स्टीट्यूट/संस्था को फैकल्टी में जमा करना होगा।

अन्य देय शुल्क निम्न है।

1- Marksheet & Certificate	Fees	:	2000 Rs
2- Certificate (2nd Copy)	Fees	:	1000 Rs
3- Marksheet (2nd Copy)	Fees	:	1000 Rs
4- Migration Certificate	Fees	:	1000 Rs
5- Provisional Certificate	Fees	:	1000 Rs

नोट: 1. एक से 5 बिन्दुओं के उपरोक्त शुल्क (Fees) परीक्षा केन्द्रों से ली जाती है।

All (Fees) Payment By Case/Draft In Favour of paramedical Faculty of India Lucknow (U.P.) Through Transfer IFSC Code: UBINO559571, A/c 595701010050160 Union Bank of India Ashiyana, Lucknow. (U.P.)

Secretary



Government Registered
An ISO 9001-2008 Certified Institution

PARA MEDICAL FACULTY OF INDIA® भारतीय चिकित्सा सहायक परिषद

Delhi Office : 3385 Mahindra Park (Ranibagh), Delhi-110034

National ADMN. Office : E-113 Sect- I, L.D.A. Colony, Kanpur Road, Lucknow (U.P.)--226012

Website : www.pmfidelihi.com E-mail : paramedicalfacultyindia@gmail.com Phone : 0522-2424213, 09415017779

Application For Affiliation Form

To,

President

Para Medical Faculty of India

National ADMN. Office : Lucknow (UP)-India

Sir,

I, hereby request that I am the Manager/Chairman/Principal/Director of the :

I have carefully read all the rules &

regulations of your Para Medical Faculty of India and am fully satisfied with them. I want to Affiliation

my Institution for Para Medical Diploma (G.N.M & A.N.M.) Courses

Please Details about my institution are below.

I enclose Affiliation Fees ₹ 2, 51000/- Cash / Bank D.D.No : Date :

in favour of Para Medical Faculty of India Lucknow (U.P.). Through Transfer IFSC Code UBIN0559571
A/c No. 595701010050160 Union Bank of India Ashiyana, lucknow (U.P.) India.

Name of Institution :

(In Block Letters)

Postal Address :

(In Block Letters)

Distt. Pin: State

Phone: Mob. :

Website e-mail

Establishment Year :

Constitution with rules & regulation and registration of institute under societies/Trust Act.

Blue print of the institution :

Bank Account Number of the institution :

Name of Bank and Address :

Details about Library & studying Room :

Facility about practicals and other functions regarding study :

List of management with the qualifications of members :

Enclose all document in proof of above statement :

Signature President / Manager

Signature Principal

Office Seal

Financial Status of Institution.....

Financial Status of Institution (Enclose Bank Statement).....

What is the Financial Sources for further three years.....

Details of the working teachers in the organization.

S.No.	Name	Address	Qualification	Date of joining

Name & Designation of main authorised officer for correspondence.

Date.....

Signature of authorised person

With Seal

DECLARATION

I.....working as.....at the center
.....(Name of the center) I am Fully know about the working of the center.

The above details are true to the best of my knowledge. The rules and regulations of Para Medical Faculty of India, Delhi will be properly followed and accepted by the members & officers of the center in the future.

Date.....

Signature of authorised person

With Seal

For office use only

Mr./Smt.....Should produce his inspection report about the center within 15 days

Date.....

Secretary

100 रुपये के स्टाम्प पेपर

समझौता (एग्रीमेंट)

1. यह कि मैंशपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूं कि पैरा मेडिकल फैकल्टी ऑफ इण्डिया, दिल्ली के सभी नियमों व शर्तों का पालन करूंगा/करूंगी।
2. यह कि मैंने फैकल्टी के नियमों व विनियमों को भली-भांति पढ़कर समझ लिया है। मैं फैकल्टी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का समय-समय पर पालन करूंगा/करूंगी।
3. यह कि मैं अपने इन्स्टीट्यूट/संस्था के बैंक खाते का ब्यौरा आवश्यकतानुसार पैरा मेडिकल फैकल्टी ऑफ इण्डिया में प्रतिवर्ष जमा करूंगा/करूंगी।
4. यह कि मैं पैरा मेडिकल फैकल्टी ऑफ इण्डिया के साथ सहमत शर्तों व नियमों का उल्लंघन नहीं करूंगा/करूंगी। यदि मेरे विरुद्ध कोई भी शिकायत पायी जाती है और मैं दोषी साबित होता/होती हूं तो मेरे खिलाफ कार्यवाही करने के लिये फैकल्टी को पूर्ण अधिकार होगा, जिसकी संस्तुति फैकल्टी द्वारा की जायेगी।
5. यह कि मैं हमेशा निष्ठावान रहकर कार्य करूंगा/करूंगी।

मैं घोषणा करता/करती हूं कि मैंने फैकल्टी व मैनेजमेंट कमेटी से यह समझौता किया है कि.....को
.....को अधिकृत किया गया कि पैरा मेडिकल फैकल्टी ऑफ इण्डिया के नियमों व शर्तों व फैसले को मानूंगा/मानूंगी। यह अनुबंध पत्र दिनांकको किया गया है

नियम व शर्तें

1. पैरा मेडिकल फैकल्टी ऑफ इण्डिया किसी भी समय निरीक्षण समिति की पूर्व सूचना के बिना सम्बद्ध/मान्यता प्राप्त इन्स्टीट्यूट/संस्था का निरीक्षण कर सकती है। निरीक्षण के दौरान पूछे जाने पर इन्स्टीट्यूट/संस्था से सम्बन्धित सभी दस्तावेज दिखाने के लिए प्राचार्य/प्रबन्धक/अध्यक्ष बाध्य होंगे।
2. इन्स्टीट्यूट/संस्था को अस्थाई रूप से 3 वर्ष के लिए सम्बद्धता प्रदान की जाएगी और उसका स्थाई नवीनीकरण 3 वर्षों के बाद किया जाएगा।
3. इन्स्टीट्यूट/संस्था की आयोजन समिति के विघटन के मामले में इसकी सूचना पैरा मेडिकल फैकल्टी ऑफ इण्डिया का तुरंत देनी होगी।
4. किसी भी वाद-विवाद के मामले में इन्स्टीट्यूट/संस्था सम्बद्धता/मान्यता शुल्क वापसी का दावा नहीं कर सकता है और पैरा मेडिकल फैकल्टी ऑफ इण्डिया भविष्य में किसी भी कानूनी समस्याओं के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।
5. इन्स्टीट्यूट/संस्था यदि मिड सत्र में भर्ती छात्रों को प्रशिक्षण देने या फैकल्टी के नियमों के खिलाफ छात्रों को कोई वादा करने के लिए मना कर देता है, तो इन्स्टीट्यूट/संस्था इस डिफाल्ट के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगा और इस हेतु फैकल्टी पर कोई दावा कानूनी नहीं होगा तथा इन्स्टीट्यूट/संस्था के इस तरह के कृत्यों के लिए फैकल्टी जिम्मेदार नहीं होगी।

अध्यक्ष
पैरा मेडिकल फैकल्टी ऑफ इण्डिया

(इन्स्टीट्यूट/संस्था की मुहर)

हस्ताक्षर
प्राचार्य/प्रबंधक/अध्यक्ष



Government Registered
An ISO 9001-2008 Certified Institution

PARA MEDICAL FACULTY OF INDIA® भारतीय चिकित्सा सहायक परिषद

Delhi Office : 3385 Mahindra Park (Ranibagh), Delhi-110034

National ADMN. Office : E-113 Sect- I, L.D.A. Colony, Kanpur Road, Lucknow (U.P.)--226012

Website : www.pmfidelihi.com E-mail : paramedicalfacultyindia@gmail.com Phone : 0522-2424213, 09415017779

पैरा मेडिकल क्षेत्र में हैं रोजगार के अवसर, भविष्य उज्जवल बनायें

महोदय,

आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि वर्तमान में चिकित्सा के क्षेत्र में नये-नये अनुसन्धान-परीक्षणों के चलते पैरा मेडिकल प्रशिक्षित स्टाफ की आवश्यकता दिनों-दिन बढ़ती जा रही है।

पैरा मेडिकल फैकल्टी ऑफ इण्डिया, दिल्ली के रोजगार परक लगभग 35 कोर्सेज संचालित हो रहे हैं। फैकल्टी ने पैरा मेडिकल स्नातकों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की व्यवस्था की है। प्रशिक्षित पैरा मेडिकल टैक्नीशियन देश के सरकारी व अर्ध सरकारी, प्राइवेट हॉस्पिटलों में सेवारत हैं और यह सभी कोर्स सरकारी सेवा पदोन्नति में सहायक है। फैकल्टी से रजिस्टर्ड स्नातक भारत व विदेशों में चिकित्साभ्यास (प्रैक्टिस)/नौकरी कर रहे हैं।

पैरा मेडिकल ट्रेण्ड स्नातक जैसे मेडिकल लैब टेक्नीशियन, एक्सरे-टेक्नीशियन, नर्सिंग कोर्सेज एवं विभिन्न पैरा मेडिकल कोर्सेज आदि सरकारी व निजी अस्पतालों, क्लीनिकों, नर्सिंग होमों, हेल्थ केयर सेन्टर्स आदि में रोजगार के अवसर पाते हैं। फैकल्टी अनुभवी एवं अप्रशिक्षित चिकित्सकों को सही ज्ञानवर्धन हेतु प्रशिक्षण देती है यह प्रशिक्षित चिकित्सक जनता को प्राथमिक चिकित्सा सेवायें उपलब्ध करा रहे हैं। फैकल्टी पैरा मेडिकल कोर्सों का संचालन इन्स्टीट्यूट/संस्थाओं के माध्यम से कर रही है।

पैरा मेडिकल फैकल्टी ऑफ इण्डिया, दिल्ली ने भारत सरकार से RTI Act के अन्तर्गत पूछे गये प्रश्नों पर स्पष्ट किया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार, मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया, डेंटल काउंसिल, नर्सिंग काउंसिल, केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) व राज्य सरकारों ने कई पत्रों के माध्यम से बताया कि पैरा मेडिकल कोर्सों को संचालित करने का कोई भी शासनादेश व एक्ट सरकार ने नहीं बनाया है और यह कोर्स हमारी परिधि में नहीं आते हैं। पैरा मेडिकल फैकल्टी ऑफ इण्डिया, दिल्ली से उत्तीर्ण स्नातक सरकारी/अर्द्धसरकारी/प्राइवेट अस्पतालों में वैकेंसी निकलने पर आवश्यकतानुसार नौकरी में लिये जाते हैं। पैरा मेडिकल कोर्स नेशनल लेबल पर नौकरी में मान्य है।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी विश्वविद्यालय, इन्स्टीट्यूट अथवा संस्था से पैरा मेडिकल कोर्स जैसे **DMLT, DX-RT, DMRT, ANM, GNM, DPT, DDHT, DDA, ECG, DOT, DOA, CMS&ED, DAM, DUM, DHM, DP, PGDP, DHMS, DAT, DUST, DOPT, DAP, DHP** आदि में प्रवेश लेने से पहले इन्स्टीट्यूट से यह जानकारी आवश्यक प्राप्त कर लें कि कोर्स उत्तीर्ण करने के बाद रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगा। चूँकि बिना रजिस्ट्रेशन कोर्स की वैधता नहीं है।

➤ सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के उत्तर में यू.पी.स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने अपने पत्रांक 6156/2016 दिनांक 06.06.2016 को बताया है कि पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी पंजाब, विनायका मिशन यूनिवर्सिटी (एपी), इन्दिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली आदि अनेक संस्थाओं द्वारा संचालित **DMLT, DX-RT, DMRT, ANM, GNM, DPT, DDHT, ECG, DOT, DOA** आदि कोर्सें उत्तीर्ण स्नातकों का पंजीकरण यू.पी.स्टेट मेडिकल फैकल्टी में नहीं किया जाता है।

➤ यू.पी. स्टेट मेडिकल फैकल्टी के पत्रांक 1257/2015 दिनांक 12.12.2015 को अपने पत्र में लिखा है कि पैरामेडिकल से संबंधित राष्ट्रीय/प्रदेश स्तर पर कौंसिल का गठन नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में यू.पी.स्टेट मेडिकल फैकल्टी सन् 1926 से इंडियन मेडिकल डिग्रीज एक्ट-1916 के अन्तर्गत कार्यवाही कर रही है।

➤ यू.पी. स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने अपने पत्रांक 11112/17 दिनांक 28.12.2017 में लिखा है कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी स्वशासी व स्वावित्तपोषी संस्था है।

रुपया 4,51000/-में सम्बद्धता (Affiliation) लेकर एक वर्ष में कई लाख कमायें

सम्बद्धता (Affiliation) इन्स्टीट्यूट/संस्था को 3 वर्ष के लिए अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जायेगी। 3 वर्ष बाद नवीनीकरण के समय स्थाई सम्बद्धता प्रदान की जायेगी। जिसका शुल्क इन्स्टीट्यूट/संस्था को फैकल्टी में जमा करना होगा।

अन्य देय शुल्क निम्न है।

1- Marksheet & Certificate	Fees	:	2000 Rs
2- Certificate (2nd Copy)	Fees	:	1000 Rs
3- Marksheet (2nd Copy)	Fees	:	1000 Rs
4- Migration Certificate	Fees	:	1000 Rs
5- Provisional Certificate	Fees	:	1000 Rs

नोट: 1. एक से 5 बिन्दुओं के उपरोक्त शुल्क (Fees) परीक्षा केन्द्रों से ली जाती है।

All (Fees) Payment By Case/Draft In Favour of paramedical Faculty of India Lucknow (U.P.) Through Transfer IFSC Code: UBINO559571, A/c 595701010050160 Union Bank of India Ashiyana, Lucknow. (U.P.)

Secretary



Government Registered
An ISO 9001-2008 Certified Institution

PARA MEDICAL FACULTY OF INDIA® भारतीय चिकित्सा सहायक परिषद

Delhi Office : 3385 Mahindra Park (Ranibagh), Delhi-110034

National ADMN. Office : E-113 Sect- I, L.D.A. Colony, Kanpur Road, Lucknow (U.P.)--226012

Website : www.pmfidelihi.com E-mail : paramedicalfacultyindia@gmail.com Phone. : 0522-2424213, 09415017779

Application For Affiliation Form

To,

President

Para Medical Faculty of India

National ADMN. Office : Lucknow (UP)-India

Sir,

I, hereby request that I am the Manager/Chairman/Principal/Director of the :

I have carefully read all the rules &

regulations of your Para Medical Faculty of India and am fully satisfied with them. I want to Affiliation my

Institution for Para Medical Diploma & Certificate(G.N.M & A.N.M.) & All Courses

Please Details about my institution are below.

I enclose Affiliation Fees ₹ 4, 51000/- Cash / Bank D.D.No : Date :

in favour of Para Medical Faculty of India Lucknow (U.P.). Through Transfer IFSC Code UBIN0559571
A/c No. 595701010050160 Union Bank of India Ashiyana, lucknow (U.P.) India.

Name of Institution :

(In Block Letters)

Postal Address :

(In Block Letters)

Distt. Pin: State

Phone: Mob. :

Website e-mail

Establishment Year :

Constitution with rules & regulation and registration of institute under societies/Trust Act.

Blue print of the institution :

Bank Account Number of the institution :

Name of Bank and Address :

Details about Library & studying Room :

Facility about practicals and other functions regarding study :

List of management with the qualifications of members :

Enclose all document in proof of above statement :

Signature President / Manager

Signature Principal

Office Seal

Financial Status of Institution.....

Financial Status of Institution (Enclose Bank Statement).....

What is the Financial Sources for further three years.....

Details of the working teachers in the organization.

S.No.	Name	Address	Qualification	Date of joining

Name & Designation of main authorised officer for correspondence.

Date..... Signature of authorised person

With Seal

DECLARATION

I.....working as.....at the center
(Name of the center) I am Fully know about the working of the center.

The above details are true to the best of my knowledge. The rules and regulations of Para Medical Faculty of India, Delhi will be properly followed and accepted by the members & officers of the center in the future.

Date..... Signature of authorised person

With Seal

For office use only

Mr./Smt.....Should produce his inspection report about the center within 15 days

.....

Date..... Secretary

100 रुपये के स्टाम्प पेपर

समझौता (एग्रीमेंट)

1. यह कि मैंशपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूं कि पैरा मेडिकल फैकल्टी ऑफ इण्डिया, दिल्ली के सभी नियमों व शर्तों का पालन करूंगा/करूंगी।
2. यह कि मैंने फैकल्टी के नियमों व विनियमों को भली-भांति पढ़कर समझ लिया है। मैं फैकल्टी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का समय-समय पर पालन करूंगा/करूंगी।
3. यह कि मैं अपने इन्स्टीट्यूट/संस्था के बैंक खाते का ब्यौरा आवश्यकतानुसार पैरा मेडिकल फैकल्टी ऑफ इण्डिया में प्रतिवर्ष जमा करूंगा/करूंगी।
4. यह कि मैं पैरा मेडिकल फैकल्टी ऑफ इण्डिया के साथ सहमत शर्तों व नियमों का उल्लंघन नहीं करूंगा/करूंगी। यदि मेरे विरुद्ध कोई भी शिकायत पायी जाती है और मैं दोषी साबित होता/होती हूं तो मेरे खिलाफ कार्यवाही करने के लिये फैकल्टी को पूर्ण अधिकार होगा, जिसकी संस्तुति फैकल्टी द्वारा की जायेगी।
5. यह कि मैं हमेशा निष्ठावान रहकर कार्य करूंगा/करूंगी।

मैं घोषणा करता/करती हूं कि मैंने फैकल्टी व मैनेजमेंट कमेटी से यह समझौता किया है कि.....को
.....को अधिकृत किया गया कि पैरा मेडिकल फैकल्टी ऑफ इण्डिया के नियमों व शर्तों व फैसले को मानूंगा/मानूंगी। यह अनुबंध पत्र दिनांकको किया गया है

नियम व शर्तें

1. पैरा मेडिकल फैकल्टी ऑफ इण्डिया किसी भी समय निरीक्षण समिति की पूर्व सूचना के बिना सम्बद्ध/मान्यता प्राप्त इन्स्टीट्यूट/संस्था का निरीक्षण कर सकती है। निरीक्षण के दौरान पूछे जाने पर इन्स्टीट्यूट/संस्था से सम्बन्धित सभी दस्तावेज दिखाने के लिए प्राचार्य/प्रबन्धक/अध्यक्ष बाध्य होंगे।
2. इन्स्टीट्यूट/संस्था को अस्थाई रूप से 3 वर्ष के लिए सम्बद्धता प्रदान की जाएगी और उसका स्थाई नवीनीकरण 3 वर्षों के बाद किया जाएगा।
3. इन्स्टीट्यूट/संस्था की आयोजन समिति के विघटन के मामले में इसकी सूचना पैरा मेडिकल फैकल्टी ऑफ इण्डिया का तुरंत देनी होगी।
4. किसी भी वाद-विवाद के मामले में इन्स्टीट्यूट/संस्था सम्बद्धता/मान्यता शुल्क वापसी का दावा नहीं कर सकता है और पैरा मेडिकल फैकल्टी ऑफ इण्डिया भविष्य में किसी भी कानूनी समस्याओं के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।
5. इन्स्टीट्यूट/संस्था यदि मिड सत्र में भर्ती छात्रों को प्रशिक्षण देने या फैकल्टी के नियमों के खिलाफ छात्रों को कोई वादा करने के लिए मना कर देता है, तो इन्स्टीट्यूट/संस्था इस डिफाल्ट के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगा और इस हेतु फैकल्टी पर कोई दावा कानूनी नहीं होगा तथा इन्स्टीट्यूट/संस्था के इस तरह के कृत्यों के लिए फैकल्टी जिम्मेदार नहीं होगी।

अध्यक्ष
पैरा मेडिकल फैकल्टी ऑफ इण्डिया

(इन्स्टीट्यूट/संस्था की मुहर)

हस्ताक्षर
प्राचार्य/प्रबंधक/अध्यक्ष

पैरा मेडिकल फैकल्टी द्वारा रेगुलर नये प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु दिशा-निर्देश

1. नये प्रशिक्षण केन्द्र खोलने एवं सीट वृद्धि हेतु आवेदन दिनांक 20 मई 2018 तक किया जा सकता है।
2. सम्पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र के साथ वांछित समस्त आवश्यक दस्तावेजों की कॉपी कार्यालय में 2 प्रतियों में जमा कराना अनिवार्य होगा।
3. अपूर्ण भरे हुये फार्म एवं आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में आपके आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा तथा संस्था द्वारा जमा किये गये शुल्क में से 50 प्रतिशत शुल्क काट कर अवशेष शुल्क वापस कर दिया जायेगा।
4. जी0एन0एम0, ए0एन0एम0 नर्सिंग प्रशिक्षण का आवेदन शुल्क वर्तमान में रुपये 2,51000/- (दो लाख इक्यावन हजार) निर्धारित किया गया है, यह अधिकतम 3 वर्ष के लिये मान्य होगा।
5. जी0एन0एम0, ए0एन0एम0 नर्सिंग प्रशिक्षण का स्थाई नवीनीकरण कराने के लिये रुपये 1,00000/- (एक लाख) जमा करना अनिवार्य होगा, तभी नवीनीकरण किया जायेगा।
6. जिन जिलों में जी0एन0एम0, ए0एन0एम0 नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र नहीं है अथवा बहुत कम है, उन जिलों में जी0एन0एम0, ए0एन0एम0 प्रशिक्षण केन्द्र खोले जा सकते हैं।
7. जी0एन0एम0 व ए0एन0एम0 के प्रत्येक छात्रों को इन्रोलमेंट/रजिस्ट्रेशन शुल्क रूपया 2 हजार जमा करना अनिवार्य होगा।
8. परीक्षा शुल्क/सामग्री (अंकपत्र व प्रमाण पत्र) प्रति जी0एन0एम0 छात्र रूपया 15000/- (पन्द्रह हजार) व प्रति ए0एन0एम0 छात्र रूपया 12000/- (बारह हजार) जमा करना अनिवार्य होगा।
9. निरीक्षण (Inspection) शुल्क रूपया 10000/- (दस हजार) आवेदन पत्रों के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।

प्रथम वर्ष प्रशिक्षण भवन का विवरण

जी0एन0एम0, ए0एन0एम0 नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु मानकों के अनुरूप संस्था का स्वयं का 20 बेड का चिकित्सालय व प्रशिक्षण भवन 20X25 के दो हॉल, लाइब्रेरी कक्ष, प्रधानाचार्य कक्ष एवं हास्टल भवन का अलग से होना अनिवार्य है, (लीज अथवा किराये का भवन भी मान्य होगा)।

द्वितीय वर्ष प्रशिक्षण भवन का विवरण

जी0एन0एम0, ए0एन0एम0 नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु मानकों के अनुरूप संस्था का स्वयं का 25 बेड का चिकित्सालय व प्रशिक्षण भवन 20X25 के चार हॉल एवं हास्टल भवन का अलग से विस्तार होना अनिवार्य है, (लीज अथवा किराये का भवन भी मान्य होगा)।

तृतीय वर्ष प्रशिक्षण भवन का विवरण

जी0एन0एम0, ए0एन0एम0 नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु मानकों के अनुरूप संस्था का स्वयं का 30 बेड का चिकित्सालय व प्रशिक्षण भवन 20X25 के छः हॉल एवं हास्टल भवन का अलग से विस्तार होना अनिवार्य है, (लीज अथवा किराये का भवन भी मान्य होगा) किन्तु तीन वर्ष के बाद प्रशिक्षण भवन व हास्टल भवन अपना बनाना अनिवार्य होगा। जी0एन0एम0 कोर्स में छः माह का इन्टर्नशिप करना अनिवार्य है।

प्रथम वर्ष प्रशिक्षण भवन का विवरण

ऑल पैरा मेडिकल कोर्सेज प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु मानकों के अनुरूप संस्था का स्वयं का 20 बेड का चिकित्सालय व प्रशिक्षण भवन हेतु 20X25 के दो हॉल, लाइब्रेरी कक्ष, प्रधानाचार्य कक्ष एवं हास्टल भवन का अलग से होना अनिवार्य है, (लीज अथवा किराये का भवन भी मान्य होगा)।

द्वितीय वर्ष प्रशिक्षण भवन का विवरण

ऑल पैरा मेडिकल कोर्सेज प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु मानकों के अनुरूप संस्था का स्वयं का 25 बेड का चिकित्सालय व प्रशिक्षण भवन हेतु 20X25 के चार हॉल एवं हास्टल भवन का अलग से विस्तार होना अनिवार्य है, (लीज अथवा किराये का भवन भी मान्य होगा)।

तृतीय वर्ष प्रशिक्षण भवन का विवरण

ऑल पैरा मेडिकल कोर्सेज प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु मानकों के अनुरूप संस्था का स्वयं का 30 बेड का चिकित्सालय व प्रशिक्षण भवन हेतु 20x25 के छः हॉल व प्रधानाचार्य कक्ष और स्टॉफ कक्ष होना आवश्यक है। प्रत्येक डिप्लोमा/सर्टिफिकेट प्रशिक्षण हेतु अतिरिक्त अध्ययन कक्ष उपलब्ध हों। यदि चिकित्सालय व प्रशिक्षण केन्द्र एक ही परिसर में हो तो संस्था के स्वामित्व का होना अनिवार्य है।

1. ऑल पैरा मेडिकल कोर्सेज (डिप्लोमा/सर्टिफिकेट) प्रशिक्षण का आवेदन शुल्क वर्तमान में रूपये 4,51,000/- (चार लाख इक्कावन हजार) निर्धारित किया गया है, यह अधिकतम 3 वर्ष के लिये मान्य होगा।
2. जिन जिलों में ऑल पैरा मेडिकल कोर्सेज (डिप्लोमा/सर्टिफिकेट) प्रशिक्षण केन्द्र नहीं है अथवा बहुत कम है, उन जिलों में ऑल पैरा मेडिकल कोर्सेज प्रशिक्षण केन्द्र खोले जा सकते हैं।
3. पैरा मेडिकल की डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम हेतु संस्था के पास स्वयं की भूमि नगरीय क्षेत्र में 1/2 एकड़ एवं ग्रामीण क्षेत्र में एक एकड़ होना अनिवार्य है। संस्थान के पास छात्रों को क्लीनिकल प्रशिक्षण देने हेतु स्वयं के स्वामित्व एवं प्रबन्धन का होना आवश्यक है।
4. इन्स्टीट्यूट/संस्था द्वारा शुल्क (Fees) नकद/बैंक ड्राफ्ट अथवा पैरा मेडिकल फैंकल्टी ऑफ इण्डिया आईएफएससी कोड UBIN0559571 खाता सं0-595701010050160 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आशियाना, लखनऊ (उ0प्र0) में ट्रांसफर कर सूचित करें।

आवेदन पत्र के साथ लगाये जाने वाले संलग्नक

फोटोग्राफ:-

5. भवन के सामने व भवन के पीछे का मानचित्र की छायाप्रति।
6. किसी एक कक्षा की आन्तरिक, प्रधानाचार्य कक्ष एवं लाइब्रेरी की छायाप्रति।
7. अस्पताल के विभिन्न कोणों व आन्तरिक साज-सज्जा को दिखाते हुये फोटो प्रति।
8. सम्बन्धित प्रशिक्षण की विशेषज्ञता की उपलब्ध सुविधाओं को दिखलाते हुये आन्तरिक फोटो प्रति।

दस्तावेज (संलग्न):-

9. संस्था का रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र।
10. संस्था के बाइलाज (नियमावली) एवं प्रशिक्षण केन्द्र का प्रमाणित मानचित्र।
11. प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का केन्द्र खोलने हेतु सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा पारित रिजोल्यूशन/प्रस्ताव की प्रति।
12. भूमि के मालिकाना हक का प्रमाण-पत्र/प्रपत्र (संस्था का हो) या राजस्व अभिलेखों में प्रमाणित प्रति/खतौनी की मूल प्रति। यदि संस्था ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हो और भूमि कृषि योग्य हो तो निबन्धन धारा 143 के अर्न्तगत भू-उपयोग परिवर्तन के आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।
13. अस्पताल का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें बेड संख्या अंकित हो, संलग्न करना अत्यावश्यक है।
14. मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा प्रदत्त पंजीकरण प्रमाण पत्र।
15. वर्तमान में कार्यरत प्रशिक्षण केन्द्र चिकित्सकों एवं अस्पताल कर्मचारियों की सूची तथा लाइब्रेरी में उपलब्ध पुस्तकों की सूची संलग्न करें।
16. नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु चिकित्सालय का पंजीयन प्रमाण-पत्र।
17. नियमावली में दिये शपथ-पत्र को 100/-रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित कराकर संलग्न करना आवश्यक है।
18. सम्बद्धता (Affiliation) लेने वाले इन्स्टीट्यूट/संस्था को जी0एन0एम0, ए0एन0एम0 पाठ्यक्रम को छोड़कर प्रत्येक पाठ्यक्रम में परीक्षा आदि शुल्क रूपया 10000/- (दस हजार) एवं इनरोमेन्ट शुल्क रूपया 2000/- प्रति छात्र जमा करना अनिवार्य होगा।

(सचिव)

पैरा मेडिकल फैंकल्टी ऑफ इण्डिया